संख्या :335040/ E-55382/XXVII(1)/2025

प्रेषक,

आर. के. सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/
विशेष प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 30 सितम्बर, 2025

विषयः बैंक खाते के माध्यम से संचालित हो रही राज्य पोषित योजनाओं को केन्द्र सरकार के SNA Module की भांति संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं.–127546/2023 दिनांक 05.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासकीय अनुदान से सम्बन्धित मानक मद '55–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान', मानक मद '56–सहायक अनुदान (गैर वेतन)' तथा अन्य राज्यपोषित विभागीय योजनाओं, जिनका संचालन बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा है, को केन्द्र सरकार के SNA Module की भांति IFMS के माध्यम से राज्य SNA के रूप में संचालित किये जाने की व्यवस्था करते हुए तत्सम्बन्धी SOP निर्गत की गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश दिनांक 05.06.2023 के प्रस्तर–2(i) में स्पष्ट किया गया है कि **उक्त व्यवस्था पूर्व से बैंक खाते के माध्यम से संचालित राज्य पोषित योजनाओं पर ही लागू होगी** । संज्ञान में आया है कि उक्त सुस्पष्ट प्रावधान के बाद भी कतिपय प्रशासकीय विभागों द्वारा पूर्व से बैंक खाते के माध्यम से संचालित राज्य पोषित योजनाओं के अतिरिक्त **कतिपय अन्य योजनाओं में भी कोषागार के माध्यम से संचालन की व्यवस्था के स्थान पर राज्य SNA व्यवस्था के अन्तर्गत बैंक खाते के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।** इससे उक्त योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन प्रभावित होने के साथ पार्किंग ऑफ फण्ड को बढावा मिलता है तथा राजकोष में तरलता की स्थिति पर भी कुप्रभाव पड़ता है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि आपके नियंत्रणाधीन विभागों के अन्तर्गत भी उक्त शासनादेश दिनांक 05.06.2023 के निर्गत होने के उपरान्त पूर्व से बैंक खाते के माध्यम से संचालित हो रही योजनाओं के अतिरिक्त, किसी अन्य योजना को राज्य SNA के रूप में संचालन प्रारम्भ किया गया हो तो **ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी राज्य SNA व्यवस्था को समाप्त करते हुए पूर्ववत् कोषागार के माध्यम से संचालन किया जाए।** ऐसी योजनाओं में राज्य SNA बैंक खातों में जमा की गयी धनराशि का योजना के अन्तर्गत अतिशीघ्र नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाए तथा कोई नई धनराशि उक्त खातों में जमा न की जाए। तदोपरान्त उक्त बैंक खाते में अद्यतन अर्जित ब्याज को राजकोष की सुसंगत प्राप्ति शीर्षक में जमा कराकर उक्त राज्य SNA खाते को बन्द करा दिया जाए।

4– सभी प्रशासकीय विभागों द्वारा उक्त प्रस्तर–3 के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही सम्पादित करते

File No. FIN1/25/2023-XXVII-1-Finance Department (Computer No. 55382)
Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA BATURI, RO Finance Section-I, KCB, RO FINANCE, Finance Department on 30/09/2025 01:30 pm

हुए तत्सम्बन्धी प्रमाणपत्र वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा तथा सम्बन्धित वित्त नियंत्रकों/वित्त अधिकारियों आदि पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही को सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व होगा।

5– कृपया उपरोक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
Ramesh Kumar Sudhanshu
Date: 30-09-2025 10:42:08

(आर. के. सुधांशु)
प्रमुख सचिव

संख्या :335040/ E-55382/XXVII(1)/2025 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

(आर. के. सुधांशु)
प्रमुख सचिव